प्रेस नोट थाना कैण्ट दिनांक 14-10-2020

छेड़खानी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना कैन्ट, जनपद गोरखपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में हो रही महिला सम्बन्धित अपराधों के रोक-थाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय व प्रभारी निरीक्षक कैण्ट को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए लगाया गया था। जिसके क्रम में पुलिस द्वारा लगातार की जा रही गस्त व सक्रियता के कारण थाना कैण्ट पुलिस द्वारा एक अभियुक्त विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र स्व0 भागीरथी कन्नौजिया निवासी सिंघड़िया थाना कैण्ट गोरखपुर को कूड़ाघाट तिराहे के पास दिनांक 14.10.2020 को समय करीब 08.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

घटना क्रम- वादी मुकदमा जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 13.10.2020 को समय 21.29 बजे थाना कैण्ट गोरखपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की पुत्री समय दिनांक 13.10.2020 को समय करीब 03.00 बजे दोपहर में ट्यूसन पढ़ने के लिये जा रही थी उसी समय अभियुक्त विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र स्व0 भागीरथी कन्नौजिया पता सिघांड़िया मेरी पुत्री का हाथ पकड़ कर खिचते हुये छेड़खानी किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 1275/2020 धारा 354 भादवि0 व 9/10 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त के विवेचक द्वारा आज दिनांक 14.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर कूड़ाघाट तिराहे के पास से समय करीब 8.20 बजे अभियुक्त विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र स्व0 भागीरथी कन्नौजिया निवासी सिंघड़िया थाना कैण्ट गोरखपुर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार गोरखपुर में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. विजय कुमार कन्नौजिया पुत्र स्व0 भागीरथी कन्नौजिया निवासी सिंघड़िया थाना कैण्ट गोरखपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1275/2020 धारा 354 भादवि0 व 9/10 पाक्सो एक्ट थाना कैण्ट गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार चौकी ईन्जी0 कालेज थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. का0 दीपक यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 अतुल यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर